न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 66 / 2024

तारीख रजू : 30.10.2024

निर्णय दिनांक : 17.10.2025

उनवान

1. सरोज देवी पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देवता तहसील कोटपूतली जिला – कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक पुत्र रामजीलाल,
2. कृष्ण पुत्र विमला देवी पत्नी रामजीलाल,
3. रघुवीर पुत्र मातादीन,
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम देवता तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली।
5. माया देवी पुत्री रामजीलाल यादव निवासी ग्राम देवता तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1550 वाके ग्राम देवता तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 23.10.2021 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वकील श्री अमीलाल यादव अपीलान्ट की ओर से।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1550 वाके ग्राम देवता तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 23.10.2021 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के आदेश से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी हाल खसरा नम्बर 524 / 0.08, 525 / 0.09, 521 / 0.11 वाकै मौजा देवता तहसील कोटपूतली में अपीलान्ट ने पूर्व खातेदारान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कृष्ण के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि 0.0350 यानि 1 / 8 हिस्सा खरीद किया था तथा खरीद के समय से अपीलान्ट अपने हिस्से पर काबिज है तथा काश्त कर रही है। राजस्व कर्मचारियो ने अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार दर्ज ना कर अपीलान्ट का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 5 का सम्पूर्ण हिस्सा यानि उक्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा में नाम दर्ज कर दिया। जो काबिले दुरूस्ती है।

अन्त में वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1550 ग्राम देवता तहसील कोटपूतली तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली निर्णय दिनांक 23.10.2021 को दुरूस्त फरमाया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 524 / 0.08, 525 / 0.09, 521 / 0.11 वाकै मौजा देवता तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण हिस्से में भूमि 0.0350 यानि 1 / 8 हिस्सा यानि विक्रय पत्र के अनुसार एवं मुताबिक विकय पत्र अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 पर विचार किया गया। न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का गौर से अवलोकन करने से स्पष्ट

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 524/0.08, 525/0.09, 521/0.11 वाकै मौजा देवता तहसील कोटपूतली में से रस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया था, परन्तु तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के साथ–साथ शेष रेस्पोडेन्ट्स के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी भी अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 1550 वाके ग्राम देवता तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 23.10.2021 को स्वीकार करते समय त्रुटि हुई है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित्त है। इस प्रकार वकील अपीलान्ट की बहस प्रकरण पर चस्पा होती है तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पुनः प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य साबित होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 1550 वाके ग्राम देवता तहसील कोटपूतली दिनांक 23.10.2021 को पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार कोटपूतली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः जॉच कर पक्षकारान के हिस्से अनुसार नियमानुसार विधिसम्मत् पुनः नामांतकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़